बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना)

नीलामी–सूचना

पत्रांक : बि०स०ग्र०–01/2018 14 /पटना, दिनांक 11.03. 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभागाधीन बिहार सचिवालय ग्रंथागार, सचिवालय विस्तारीकरण भवन, ब्लॉक–03 द्वितीय तल, पुराना सचिवालय पटना–15 के पुराने उपस्कर एवं समाचार पत्र जो न्यू पुनाईचक, पटना स्थित विभिन्न ऑफिसर्स फ्लैट (54/84, 64/84 एवं 69/84) में सुरक्षित है। न्यूनतम नीलामी आधार मूल्य ₹ 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) है। जिसका नीलामी तिथि क्रमशः 1 अप्रील 2026 एवं 8 अप्रील 2026 को अपराह्न– 04:00 बजे दिन में बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना में निम्नलिखित शर्तो के साथ किया जाएगा :–

02. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक डाककर्ता को डाक बोलने से पहले जमानत के रूप में नकद राशि रु० 5000/– (पाँच हजार रूपये मात्र) के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। डाक में असफल डाककर्ता को यह राशि डाक के बाद तत्काल लौटा दी जाएगी।
03. उच्चतम बोली/डाक लगाने वाले व्यक्ति को पूरी राशि तत्काल नकद जमा करना होगा, अन्यथा उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
04. डाककर्ता को विभाग द्वारा निर्धारित नीलामी आधार मूल्य के अनुसार सभी सामग्रियों की एकमुश्त बोली लगानी होगी।
05. सफल डाककर्ताओं के द्वारा जो बोली लगाई जाएगी, वह रु० 500/– (पाँच सौ) के गुणक में बढ़ेगी।
06. सफल डाककर्ता के द्वारा सभी नीलामी सामग्रियों को दो दिनों के अंदर न्यू पुनाईचक, पटना स्थित विभिन्न ऑफिसर्स फ्लैट से ले जाना होगा।
07. यदि नीलामी कार्य 1 अप्रील 2026 को सम्पन्न हो जाता है, तो अगली नीलामी तिथि 8 अप्रील 2026 स्वतः निरस्त माना जाएगा।
08. बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना के कार्यालय से सम्पर्क कर डाक में भाग लेने वाले डाककर्ता नीलामी तिथि से पूर्व 30 मार्च 2026 एवं 7 अप्रील 2026 को पूर्वाह्न–09:30 बजे से अपराह्न– 05:00 बजे तक उपस्करों का निरीक्षण कर सकते हैं।
09. बिना कारण बताये किसी भी डाक को रद्द एवं संशोधन करने का अधिकार ''विभागीय नीलामी समिति'' की अनुशंसा पर अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए नीलामी सूचना का विवरण वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/prdbihar एवं https://state.bihar.gov.in/csd पर देखा जा सकता है।

11.3.26

(अनिता सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी (अपर सचिव)।